सुनवाई — सुप्रीम कोर्ट से लौटीं 91 याचिकाओं पर प्रतिदिन दोपहर 2 .30 बजे होगी डे-टू-डे सुनवाई

ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टली, आज से होगी

जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी। प्रशासनिक कारणों से सूचीबद्ध हुए प्रकरणों पर अब आज 15 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे हाईकोर्ट की विशेष पीठ नियमित रूप से सुनवाई करेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डे-टू-डे सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायाधीश विनय सराफ की विशेष पीठ के समक्ष ओबीसी आरक्षण से संबंधित 91 याचिकाएं सूचीबद्ध थीं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि मामले सोमवार की सूची में क्रमांक-16 पर लगे हैं, जबकि दोपहर 2.30 बजे से संबंधित बैच उपलब्ध नहीं रहेगा। इस पर न्यायालय को अवगत कराया गया कि इन प्रकरणों की सुनवाई मूल रूप से 15 जुलाई से निर्धारित थी तथा लगातार सुनवाई के आदेश पहले से प्रभावी हैं। प्रशासनिक कारणों से ये मामले त्रुटिवश 14 जुलाई की सूची में शामिल हो गए थे। न्यायालय ने इसके बाद स्पष्ट किया कि सभी 91 याचिकाओं पर सुनवाई अब 15 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

सात सालों से टिकी हैं निगाहें

करीब सात वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में लंबित इस विवाद की सुनवाई पर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों, कर्मचारी संगठनों और राज्य शासन की निगाहें टिकी हैं। आगामी सुनवाई में विशेष पीठ आगे की सुनवाई की रूपरेखा, अंतरिम आदेशों और संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि ओबीसी आरक्षण तथा पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई में न्यायमूर्ति विनय सराफ कामन जज के रूप में भी शामिल रहेंगे।

गलत कानूनी धारा लिखने से नहीं रुकेगा इंसाफ : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के जस्टिस द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने भरण-पोषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कोर्ट का उद्देश्य तकनीकी आधार पर राहत ठुकराना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। लिहाजा, यदि किसी आवेदन में गलत कानूनी धारा का उल्लेख हो गया हो, तो महज इसी आधार पर जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि बालिग अविवाहित बेटी अपनी आय या संपत्ति से स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहींहैए तो वह पिता से भरण-पोषण पाने की हकदार है।न्यायालय ने सतना निवासी गंगा सिंह की पुनरीक्षण याचिका निरस्त करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा बेटी रक्षा सिंह के पक्ष में दो हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि फैमिली कोर्ट ने पत्नी के दावे को प्रथम दृष्टया वैध विवाह सिद्ध नहीं होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। पिता ने दलील दी थी कि बालिग बेटी को धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता और उसने पिता के विरुद्ध शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। हाईकोर्ट ने यह तर्क निरस्त करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण अधिनियमए 1956 की धारा 20 (3) के तहत भी राहत प्रदान कर सकता है। गलत धारा का उल्लेख न्याय में बाधा नहीं बन सकता।

सेंट अलॉयसियस स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन

धर्मांतरण और दलित कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप उच्च स्तरीय जांच की मांग

नवभारत, जबलपुर। कटंगी रोड रिमझा स्थित सेंट अलोयसियस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोलते हुए दीनदयाल चौक पर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने स्कूल प्रबंधन पर वहां काम करने वाले दलित कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और उन पर धर्मांतरण के लिए मानसिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। माहौल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी और इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही दलित कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर सख्त कानूनी धाराएं लगाई जाएं। यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो पूरे शहर में चक्काजाम कर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया है। संगठन के अनुसार, पिछले लगभग दो माह से पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं माढ़ोताल थाना में शिकायत प्रस्तुत कर स्कूल प्रशासन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की जा रही थी। संगठन का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने प्रशासन से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

फिल्मी स्टाइल में वारदात, एफआईआर दर्ज

दो डेयरी कर्मियों का कार से अपहरण, हमला

नवभारत, जबलपुर। पनागर थाना अंतर्गत परियट में बिना नंबर की काले रंग की कार में सवार होकर आए तीन बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में राह चलते दो डेयरी कर्मचारियों को अगवा कर लिया और सुनसान नाले के पास ले जाकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के माबिक परियट निवासी दीपचंद यादव धर्मपाल की डेयरी में काम करता है। बीती रात करीब 12 : 05 बजे वह अपने साथी कर्मचारी घुर्रू ठाकुर के साथ डेयरी से काम खत्म करके पैदल अपने घर लौट रहा था। जैसे ही दोनों धर्मशाला के सामने मेन रोड पर पहुंचे, तभी पनागर की तरफ से तेज रफ्तार में एक काले रंग की कार आई और उनके पास आकर अचानक रुकी। कार रुकते ही उसमें से तीन युवक राजा पाण्डे निवासी महाराजपुर, छोटे सरकार निवासी महगवा, सोहन चौधरी उतरे। तीनों बदमाशों ने दीपचंद और घुर्रु ठाकुर से विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने दादागीरी दिखाते हुए दीपचंद से कहा, दारू पीने के लिए एक हजार रुपये निकालो। जब दीपचंद ने असमर्थता जताते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो बदमाश भड़क गए और दोनों को जबरन खींचकर कार के अंदर बैठा लिया।

करौंदा नाला पर ले जाकर बेरहमी से पीटा

बदमाश दोनों पीड़ितों को अगवा कर सीधे करौंदा नाला ले गए। वहाँ गाड़ी रोककर दोनों को नीचे उतारा गया। इसके बाद राजा पाण्डे ने दीपचंद पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बर्बर मारपीट के कारण दीपचंद के बाएं हाथ, पीठ, सिर पर गंभीर चोटें आईं। इसी दौरान दूसरे आरोपी छोटे सरकार ने घुर्रु ठाकुर के सिर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार वार किया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। दोनों को अधमरा करने के बाद भी बदमाशों का मन नहीं भरा। उन्होंने दोनों पीड़ितों को वापस कार में डाला और परियट नदी के पास ले गए। वहाँ दोनों को कार से नीचे फेंक दिया और बिना नंबर की गाड़ी से जबलपुर की तरफ तेजी से भाग निकले।

16वें वित्त आयोग की गाइडलाइंस का इंतजार, स्वच्छता , जल संरक्षण और पेयजल व्यवस्था पर रहेगी नजर

नवभारत , जबलपुर । जनपद पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति देने के लिए 16वें वित्त आयोग की कार्ययोजना के दिशा - निर्देशों का इंतजार है । जनपद पंचायत अध्यक्ष ने बताया की वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। हालांकि पूर्व में स्वीकृत राशि से विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता, जल संरक्षण, सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्य निरंतर किए जा रहे है । उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की कार्ययोजना में स्वच्छता, जल संरक्षण, पेयजल व्यवस्था और वृक्षारोपण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

वर्तमान में हो रहे जल संकट को देखते हुए आगामी कार्ययोजना में जल संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया है। वर्षा जल संचयन, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण, जल संरचनाओं के विकास तथा जल बचाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, ताकि भविष्य में जल संकट की स्थिति को कम किया जा सके।

स्वच्छता अभियान और पौधरोपण अभियान को मिलेगी नई गति

गांवों में नियमित साफ-सफाई, कचरा निष्पादन व्यवस्था और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। वहीं पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद पंचायत द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर पौधारोपण कर उनकी देखरेख की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

हमारी प्राथमिकता है की आने वाले छह महीनों में जनपद पंचायत क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत स्वच्छ, जल संरक्षण के प्रति जागरूक और मूलभूत सुविधाओं से समृद्ध हो। पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं तथा हमारे द्वारा 16वें वित्त आयोग के माध्यम से विकास कार्यों को और गति दी जाएगी।
दयानंद गिरी (महंत जी), अध्यक्ष , जनपद पंचायत

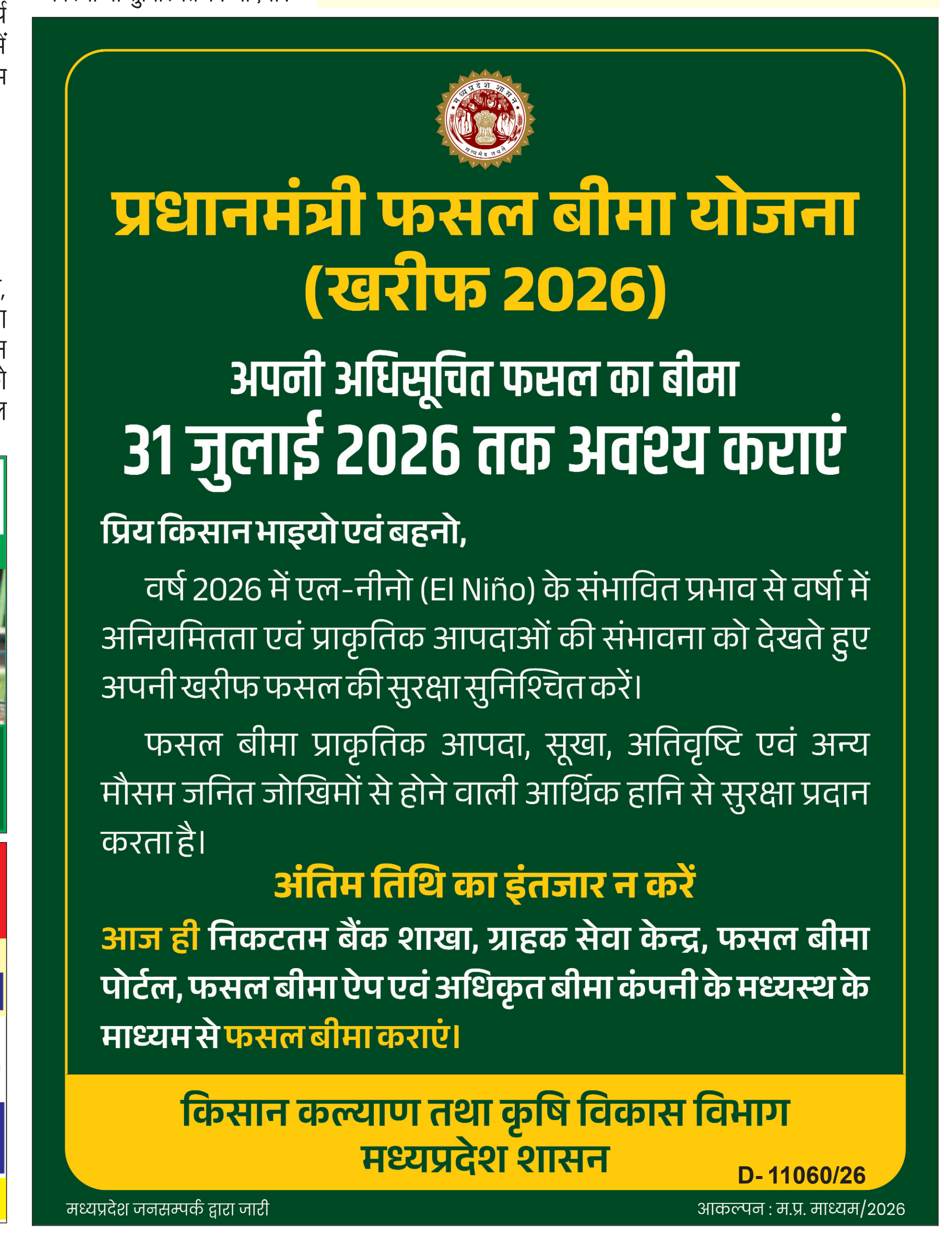

रिटायर्ड अधिकारी की स्पा सेंटर में मौत

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत तैय्यब अली स्थित स्पा सेंटर में एक आरटीओ से रिटायर्ड अधिकारी की मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविन्द्र बहादुर सिंह पिता शेर बहादुर सिंह 64 निवासी आंनद नगर अधारताल आरटीओ से रिटायर्ड अधिकारी है। वे सन् 2014 से बीमार चल रहे थे उनका शरीर अकड़ जाता था वे कई सालों से तैय्यब अली स्थित स्पा सेंटर में तेल-मालिश कराने जाते थे। मंगलवार शाम को भी पहुंचे थे तभी अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबनी शुरू की। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत होना सामने आया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुच गए थे उन्होंने लिखित आवेदन देकर बताया कि मृतक लंबे समय से बीमार चल रहे थे वें पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते है। जिसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

साइबर ठग बोला, पार्सल ऑर्डर किया है पैसे नहीं दिए तो पुलिस घर आएगी

आईफोन, 5 लाख का इनाम जीतने के झांसे में आई युवती

नवभारत, जबलपुर। सोशल मीडिया पर रील्स देखने के दौरान एक युवती आईफोन, पांच लाख नगदी और जेवरात जीतने के झांसे में आ गई। साइबर ठग के जाल में फंसकर उसने 60 हजार गंवा दिए। इसके बाद ठग 50 हजार रूपए की और डिमांड करने लगा और धमकी दी कि पार्सल ऑर्डर किया है पैसे नहीं दिए तो पुलिस घर आएगी। मामले में भेड़ाघाट पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक पूजा चक्रवर्ती सुबह करीब 8:30 बजे अपने मोबाइल पर रील्स देख रही थी। इसी दौरान उसे एक ऐसी रील दिखी जिसमें 5 लाख रुपये कैश, एक आईफोन और सोने के जेवर जीतने का बड़ा ऑफर दिया जा रहा था। रील में संपर्क के लिए मोबाइल नंबर भी दिया गया था, जिस पर पूजा ने भरोसा करके कॉल कर दिया। कॉल लगते ही सामने वाले अज्ञात व्यक्ति ने पूजा को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। उसने कहा कि आपका सारा इनामी सामान कूरियर के जरिए सीधे आपके घर भेज दिया जाएगा। युवती को झांसा देने के लिए उसने वॉट्सऐप पर कुछ फर्जी तस्वीरें भी भेजीं। इसके बाद शुरू हुआ पैसे ऐंठने का सिलसिला शुरू हुआ। कूरियर चार्ज के नाम पर 20,000 रुपये मांगे गए। पूजा ने भेड़ाघाट चौक स्थित रश्मि ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर दिए गए क्यूआर कोड पर यह रकम ट्रांसफर करवा दी। इसके बाद आरोपी ने दोबारा फोन कर कहा कि पार्सल में कीमती सोना और डायमंड है, इसलिए 35,000 रुपये का इंश्योरेंस या अन्य चार्ज लगेगा। पूजा ने भेड़ाघाट चौराहे की मां नर्मदा मोबाइल शॉप से यह रकम भी भिजवा दी। जालसाज ने फिर फोन करके 5,000 रुपये की मांग की, जिसे पूजा ने दोबारा उसी मोबाइल शॉप से ट्रांसफर करवा दिया। इस तरह अलग-अलग बहानों से आरोपी ने युवती से कुल 60,000 रुपये हड़प लिए। इतने पैसे ऐंठने के बाद भी ठग का पेट नहीं भरा। वह बार-बार फोन करके 50,000 रुपये और डालने का दबाव बनाने लगा। जब युवती ने आनाकानी की, तो आरोपी ने उसे डराते हुए कहा कि तुमने पार्सल ऑर्डर किया है और अब पैसे नहीं दे रही हो, इसलिए तुम्हारे घर पुलिस आएगी। धमकी मिलने के बाद पूजा को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का अहसास हुआ। उसने तुरंत भेड़ाघाट थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57